

27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरो  
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने में पर्याप्त  
अवसर दिये बावजूद पेश नहीं किये, अतः  
वादी का वाद Non-Compliance (अपालना) में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसा नुमा  
होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन

